

इसे 1975 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। विगत दो वर्षों से यह घोषणा की जाती है कि इनके तीन सेक्टरों में से सेक्टर ए का काम पूरा हो जायेगा और इसमें बाढ़ का पानी नहीं आएगा। लेकिन इस वर्ष भी बाढ़ का पानी इस सेक्टर में आया और एक सप्ताह तक राष्ट्रीय पथ पर पानी आ जाने के कारण पटना-आरा तथा पश्चिम के अन्य स्थानों का रास्ता अवरुद्ध हो गया।

प्रारम्भ में इस तटबंध योजना की लागत 26.28 करोड़ की थी। मंहगाई के कारण इसके खर्च तिगुने से अधिक हो गए हैं। सेक्टर “वी” और “सी” में तो आधा काम भी नहीं हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत सभी तीनों सेक्टरों में बोल्टर पिचिंग करना भी सम्मिलित है। बक्सर कोइलवर तटबंध योजना में लगभग 71, 650 हेक्टेयर के क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें राजकीय नलकूपों तथा गंगा में हाई पंपिंग सेट लगाकर इस क्षेत्र को सिंचित करने की भी योजना है। लेकिन ये सारी योजनाएँ खटाई में पड़ी हुई हैं।

इस वर्ष भी सेक्टर “ए” में हर जगह पानी भरा था और अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी करोड़ों रुपये की क्षति हुई। बांध की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया है। धन का कोई अभाव नहीं है और एक-दो स्थानों को छोड़कर कहीं जन विरोध भी नहीं है। बल्कि जन विरोध का कारण उन्हें मुआवजा न मिलना है। बांध और नदी के बीच के गांव की हालत बड़ी दयनीय है। इन्हें अभी तक बांध के बाहर बसने के लिए योजना के अनुसार बासगत जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि बक्सर कोइलवर तटबंध को आने वाले वर्ष में युद्ध-स्तर पर पूरा करायें।

MR. CHAIRMAN : We now take up the next item.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ ऑर्डर है। खगरिया में पुलिस द्वारा जो मास रेप हुआ था उसके सम्बन्ध में मैंने 377 के अन्तर्गत दिया था लेकिन यह कहा गया कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि रेप स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है ?

MR. CHAIRMAN : Have you said enough ? I will give you my ruling; This should be put up to the Speaker's consideration and it will be done.

#### CRIMINAL LAW (AMENDMENT BILL—Contd.)

MR. CHAIRMAN : We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri P. Venkatasubbaiah on 18. November, 1983, namely :

‘That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Crimminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration’.

Now, Shri Amal Datta.

SHRI AMAL DATTA (Dimond Harbour): Mr. Chairman, Sir, the main thing about this Bill and the welcome being is that it has come at last for consideration and passing by the House.

Sir, a hue and cry was raised by the people and by the Press and it was taken up by Parliament as early as in April, 1980. It is on that basis that demands were made that stringent pro-

visions should be made to punish those who are guilty of rape, particularly the guilty person having authority given to them by the state, namely, the police, the authorities of the jails, hospitals etc. where they can have women under their custody and under their powers. There have been number of causes in which rape of women in custody has been happening, rape of women by police was happening and these cases have been on the increase. So, the public and the representatives of the media; have been feeling that necessary protection should be given immediately to women and we should prevent this and properly tackle these incidents of increasing assaults on women by these people in authority.

For that reason a Bill was brought forward. But the Bill had to be referred to the Joint Select Committee. The Joint Committee had to wait unduly for a long time for the Government's amendments to come. Even though the Joint Committee submitted its report one year ago, the Bill could be brought forward only now. I do not know how such a Bill has taken 2½ years before it could come up for consideration of the House. But I hope and I am sure that this Bill will be passed at least now. But at the same time I may point out that the delay of 2½ years show the callous attitude of the Government towards protecting women. Whatever is enacted is not going to be enforced and that has been made clear at the very beginning, because the Government has not been very serious in bringing forward this particular Bill before this House. The Hon. Minister may say that this was under the consideration of the Joint Committee for a long time. The Joint Committee says in its report that it had to take a long time because it had to take evidence from various parts of the country and also it had to wait for a long time to get the amendments from the Government... It has to keep up its words as promised as early as in April 1980. Now, before its term is over, before the next election comes, when it has to

go to the electorates, it wants to tell the people that they have brought forward such a Bill to protect the weaker sections and therefore this Bill has been brought forward now. But I say that this should have been brought one year before because the Joint Committee submitted its report in October 1982.

Even as the Bill stands now, it suffers from various weaknesses. Our object is to protect the women from rape or criminal assault mainly by people in whose custody they are and by the people who go out in a group and therefore they are stronger and they have got strength and who commit mass rape, gang rape. Now, this kind of thing is sought to be deterred by giving higher punishment and by prescribing a minimum punishment to be given by the Court and the Court also can give lesser punishment according to the merits of the case. So, that will also be more or less an indication to the Court as to what is the minimum punishment to be given, an indication given by the Legislature which the Court ought not to flout at its sweet will. But, when there is a compelling reason, this has been brought forward saying that these are the recommendations of the Law Commission and therefore it is brought forward before this House. But the main thing is when the Police commits a rape either in custody or outside the custody, whatever is being sought to be brought under the net of the Indian Penal Code by this particular Bill, there should be some kind of provision for this. Now, what is the immediate remedy for this? What is the remedial action to be taken by the victim or the relations of the victim? Is the woman who has been raped in the police custody, going to lodge a complaints in the same police station? Are they going to record the complaints of the victim? If the complaint is not recorded, how can the investigation be started? But the members of Parliament were in a position to set this matter in motion. We know also how the press has set in motion a lot of such matters.

[Shri Amal Datta]

But it seems that the Government is no serious and there is no provision indicated in this Bill in regard to the lodging of the complaints. Now, what had happened in Bhagpat? The woman was stripped and paraded in public and she was raped by the Police. But nothing was done against those who had committed the crime because she had not registered a complaint until the matter was taken up by the Members of Parliament.

Again the same thing happened very recently in 1983 in the Bellari case. The Bellari case outburst was not because there was a rape, but because the police did not register the case... (Interruptions).

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) :  
बागपत में ऐसा केस नहीं हुआ था।

SHRI AMAL DATTA : They have now submitted a charge sheet.

श्रीमती कृष्णा साही : वहाँ पर दोनों पक्षों के सदस्य गए थे, आप की तरफ की भी बहुत सी महिला सदस्य वहाँ गई थीं और जो प्रतिवेदन आया था उसमें कहा गया था कि रेप का केस नहीं हुआ था।

SHRI AMAL DATTA : I have no personal knowledge of that.

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) :  
आप जनरल बात करें जब तक किसी बात की पुष्टि न हो जाय, तब तक उस का उल्लेख नहीं करना चाहिये।

SHRI AMAL DATTA : I am talking in their favour. Why are they agitated?

श्रीमती कृष्णा साही : अगर आपको प्वाइन्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप गलत बात क्यों कह रहे हैं ?

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : You should apologise to her.

SHRI AMAL DATTA : Why ?

SHRI KAM PYARE PANIKA :  
Because you have said something which is not correct.

SHRI AMAL DUTTA : If I say something in this House which is not correct, somebody may correct me later. To interrupt like this is not fair..... (Interruptions)

The Hon. lady Member is not understanding my point at all. My point is that once a lady has been raped by a policeman, can she register the case in police station? (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Cross-discussion does not help. Please carry on.

SHRI AMAL DATTA : This is a fundamental thing which has not been tackled in this law. This amendment should have first tackled this predicament of a woman who has been raped by a policeman either in the police custody or outside. If the policeman commits rape within the jurisdiction of the police station, or even if the woman has been raped in her home by a policeman, he may not be the officer incharge of the police station; the point is, is the officer incharge going to register the case? I have gone through a number of such cases which have been reported and I find that in practically all the cases, until the political people had interfered, or the Minister, the Divisional Commissioner or the District Magistrate was approached, no remedial action was started. In order to overcome this difficulty, the Government should bring in a further amendment to the effect to enable the remedial action to start from FIR to be made with some other official and not with the police station in such cases.

The other thing is that there is no special procedure prescribed apart from what is the normal procedure for investigation for such cases. As we know, the normal investigations take quite a long time; two years, three years or even four years lapse when the cases

[Shri Amal Datta]

are taken up in the courts. Where will the rape victims be available after expiry of that time? As we know, this is a disgrace on our society. A rape victim is practically given the same status as a prostitute. She bears a stigma in the eyes of the society, she has to hide herself. She cannot openly say what has happened to her. She has to make a complaint surreptitiously. The fact that such a woman has to be protected from the glare of publicity has been recognised in this law by providing trial in camera, or giving no undue publicity without her consent.

But sometimes it has gone even beyond the point what was required. It has gone so far that even the organisations, which are concerned with protecting the women, helping them in such situations, they cannot also give publicity in order to get the redress. I understand that it is even difficult in such a situation for such women's organisations to get the consent of the victims, because the victim is under such pressure from the people in authority, who commit the rape, as not to give the consent to these organisations to take up a case. Therefore, if publicity is eliminated, it means redress also will be eliminated in many cases which up to now got redress only through the intervention by public spirited men and women or such social service organisations. So, whereas it recognises the principles and brings in a situation that the women have to be protected from glare of publicity, as otherwise, proper investigation and trial cannot be effected, it has gone too far in protecting the women and also it has gone so far even to eliminate the remedy itself. So, that aspect has to be looked into. And I urge the Hon. Minister to kindly look into this since this particular section requires some amendment so that the women's organisations can take up the case, if they think fit even without the consent of the victim because consent may not be forthcoming because of the pressure in persons authority.

Then, Sir, it is also disgraceful that we have to bring this law now after 10

years of Independence. After such a long time when we should have been able to change the attitude of men towards women to change the social attitude as to the status of women, that we have not been able to do. Not only that, we have gone in the reverse direction; we have slipped back in our social attitude from where we started in 1947 on the eve of our Independence. This is the tragedy. And that is why this Bill has to be brought today. Our social attitude towards women and the way the women are depicted day in and day out in the media, in the newspapers, in cinemas, everywhere shows that it is laudable for men to be aggressive and the women must be weak, must be vulnerable, must be passive. This is the attitude which is inculcated into our minds by the media day in and day out and, Sir, you know in the cinemas whatever be the guidelines to the Censors, a rape scene is a must for a box-office success. Against this we have not been able to do anything. It is going on and is increasing. Violence on women, rape on women, these are the formula for box-office success in a picture. This being the situation, will only law suffice to remedy that situation? I am sure it will not. The law is still welcome. I believe in law also as an instrument of social change, but the law alone cannot make that change. There must be attack from various directions; there must be an attack to prevent the media to portray women and men in such a position or in such a way which shows man is aggressive or the rape scenes. All these things should be eliminated from pictures, from the newspaper advertisements, prints etc. We have to mould the attitude of the society towards the male-female relationship; otherwise the problem of rape, which is increasing will go on increasing and the law alone will not be able to prevent it.

Then about the attitude of the Police. Why is it that the policeman, instead of protecting the women, goes on and commits rape on them? I think the answer is to be found in the fact that ultimately nothing happens to those policemen. If the Government is serious



[Shri Amal Datta]

about the prevention of rape, particularly by the police, it should have some kind of statistics to show and prove to this House, that Government has monitored each and every case which has come to its notice, of rape by police, in custody or outside custody, because what is sought to be prevented is not only rape on women who has been brought to the Police Station, but rape generally by policemen, although it does not go far enough for that purpose. It prevents rape only in police stations by policemen anywhere in India and outside police stations, only within the jurisdiction of the police station. That, to my mind, is not sufficient, because police stations can be contiguous; and a policeman is known to be policeman in the next police station area, and he can commit it outside the area easily. So, the extent of the area where the rape would be punishable, should have been much larger than what has been said in this Bill, because the policeman is a policeman whether in his own police station, or in the next police station area. From one police station area, it may be 10 Km. away, and from the next police station area, it, may be 1 Km. away. He can commit it easily, because the women do not know whether a particular policeman has got authority on her house or area; or not. So, taking into consideration the illiterary and ignorance of the people in general, and knowing that the policemen are venerated even more than the Prime Minister, or even the God, I feel that the law should spread its not wider than it has done here, by making the offence by policemen committed anywhere, at least in his state, punishable. Outside his State, he may not be known as a policeman.

So, the Bill has various lacunae, in terms of trying to attack this evil. It should have been attacked from all sides—and not only from one side which it is trying to do. It falls short of what could have been achieved by spreading its net a little wider.

The Joint Committee has given various suggestions, which include suggestions relating to the amendment of the Penal Code, amendment to the Criminal Procedure Code, as well as certain general suggestions. As a suggestions relating to the amendment of the I. C. which should be enacted in further, they have said that there should be punishment for rape on women under economic dominance. This is something which certain members of the Joint Committee had brought in. It was not accepted by the Joint Committee. It was left as a suggestion for the Government to enact in future, by amending the Indian Penal Code. I hope the Minister will kindly take note of this suggestion, which has already been considered, and deliberated upon by the Joint Committee.

A law in that line will be most welcome. Secondly, so far as amendment of criminal procedure code is concerned, they suggested that the medical examination of a man accused of a rape as well as a victim of a rape, such procedure should be incorporated in the criminal procedure code. No doubt examination is something which is done in a rape case but it is not something which is compulsory; it is something for which no extra provision has been made, it is something which is done in a cursory fashion, because of the delay. The evidence is ultimately eliminated or the report given is inconclusive. Taking into account all those things, the law should be amended.

The most important thing is the compensation for a women on whom rape is committed. So long as social attitude remains one of stigma of a victim of a rape, the rape victims must be given compensation if a victim cannot look forward to a marriage if she is unmarried, cannot look forward to leading a married life if she is already married, in most cases, if not all. Therefore, the Government must take account of this situation and give compensation to the rape victims; if possible, give her

some training so that she can earn her livelihood; she does not depend upon her husband for that purpose. This is a welcome suggestion again of the Joint Committee and the Minister should take note of this. Unless such concerted efforts are made, no remedy can ultimately be successful. Please make it possible for the victims of a rape to live a useful social life; not only give her protection but you must give her protection by making various other changes apart from what are already here. These are welcome but not enough. So, please bring more changes to safeguard the position of a women in making complaints, having investigation done quickly, having a court process and trial gone through quickly. That is absolutely necessary,

So far as Bhagpat case is concerned, in June 1983, a correspondent of *The Statesman* visited her. She was not allowed to go outside her in-law's house; she stayed inside day-in and day-out. She was afraid of the people who were guilty; I do not know whether anybody is guilty; but they were afraid that the people who were guilty might take it ill. That came out in *The Statesman*. I do not know whether it has attracted the notice of the Hon. Minister. That case took three years or more for the charge-sheet to be filed. That is the normal fate of most of the cases. The time should be shortened and during this period the lady should be protected; and the ordeal, of course, should be lessened, as far as possible. To a large extent, an effort has been made. That has been supplemented by the recent ruling of the Supreme Court. Probably that will suffice, so far as the court is concerned. For that, I welcome this law.

MR. CHAIRMAN : I take the privilege to caution the House. The subject is very important as also quite complex. I had the privilege of being a Member of this particular committee and I want to assure you that it took them a very long time to go through all the different faces of the problem.

It is a very very important Bill. Therefore, I would request the hon. members to put in their best in the very cogent points that they may wish to raise and be as brief as possible. Otherwise, it is a very complex subject which can be elongated into any shape.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभा-  
पति महोदय, हिन्दुस्तान के राष्ट्र कवि श्री  
मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था ।

अबला जीवन हाथ  
तुम्हारी यही कहानी ।  
आँचल में है दूध  
और आँखों में पानी ॥

यह बात श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने कही थी और आज औरतों के जिस्म के साथ जो व्यापार किया जाता है वह आप को मालूम है । इसमें एक बेसिक बात आपने लिखी है रेप की जगह सेक्सुअल आफेंस । सारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को आपने जो अमेंड किया है उसमें सभी जगह आपने सेक्सुअल आफेंस शब्द इस्तेमाल किया है ।

देश के अन्दर आज भी देवदासी प्रथा मौजूद है । मैं बहुत से बेपरों में देखता हूं तो पाता हूं कि गरीबी के कारण किस प्रकार की घटनाएं देश में होती हैं । 30 अप्रैल 1983 के “इण्डिया टुड” के अन्दर यह निकला है । यह उड़ीसा की बात है, उड़ीसी वाले चले न जाएं ।

“The cynical exploitation of Ghumsar Udayagiri's attractive and trusting women became so easy and so prevalent that outsiders gave the village a new name : Prem Nagar. There are as many as 200 abandoned wives.”

He further says :

“The sexual abuse increased so much that frightened parents de-

[श्री मूलचन्द डांग]

vised a method to make their girls ugly. They would totemise the faces of their daughters with sharp needles and weapons. Many beautiful girls were disfigured."

अगर हमारे ए० आई० सी० सी० के जनरल सेक्रेटरी चन्द्र लाल चन्द्राकार जी डीटेल में इसको पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि देश में और जगह भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और उनके मध्य प्रदेश में भी होती हैं। (व्यवधान) . . . . राजस्थान में नहीं होती हैं। वहां सब सीता और सावित्री होती हैं। सवाल यह है कि जब सैकसुअल आफेंस आपने लिखा है तो मैं समझता था कि देश के अन्दर जितनी ये प्रथाएं हैं जिससे औरतों के जिस्म के साथ व्यापार होता है उन सब बातों को कवर करना चाहिए था। यह रेप का सवाल नहीं है। आज रेप तो इतना कामन हो गया है, उसकी जो फिगर्स दी गई हैं उससे मालूम होता है कि—

Total for the year—1978,  
1979 and 1980

	Cases reported	Cases regulated in conviction
Delhi	202	27 only
West Bengal	1,516	124 only
Karnataka	258	30 only

आखिर इस कानून की मंशा क्या थी? गवर्नमेंट ने यह कानून किस लिए बनाया? एक बात ठीक कही गई है और मैं भी गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि 1980 के अन्दर यह बिल आपने पेश किया था, उसकी मंशा यह थी इसको जल्दी से जल्दी पारित किया जाय। लेकिन आज नवम्बर 1983 के अन्दर इस पर चर्चा हो रही है। इस विषय की गंभीरता को हमें मानना

पड़ेगा। जो बिल आया है उसके फक्द्स ऐण्ड फिगर्स से मालूम होता है कि सेक्स के आफेंसेज के अन्दर कितने मामलों में कन्विकशन होता है और कितने परसेंट में होता है।

एक मनोवैज्ञानिक कठिनाई जो लड़की के सामने आती है वह उसकी मौत से भी ज्यादा खराब होती है। उसका परिवार उसको तिरस्कृत कर देता है और समाज उस लड़की का जीना दूभर कर देता है। क्या आपने कोई ऐसा प्राविजन रखा है कि इन केसेज का ट्रायल इतने टाइम में खत्म कर दिया जायेगा? अगर 6-7 साल तक यह केसेज चलने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या कोई टाइम-लिमिट रखकर इन केसेज को प्रयार्टी दी जायेगी? मैं समझता हूं आपने कोई प्राविजन नहीं रखा है।

दूसरी बात यह है कि ऐसे केसेज में लड़की का बयान कोई लेडी पुलिस आफिसर ही ले। हाई कोर्ट ने जजमेन्ट दिया है कि आजकल भी अगर कोई जबर्दस्ती करता है, चाहे अपनी पत्नी के साथ ही क्यों न हो, वह गुनहगार है। इसलिए इन मामलों की इन्क्वायरी और इन्वेस्टिगेशन लेडी पुलिस आफिसर के द्वारा ही होना चाहिए। उस लड़की को थाने भी नहीं ले जाना चाहिए बल्कि उसके मकान पर ही इन्क्वायरी की जानी चाहिए। आप कैमरा कोर्ट में इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेडी डॉक्टर और इन्क्वायरी के लिए लेडी पुलिस आफिसर ही होनी चाहिए। एस० एच० ओ० से नीचे किसी भी पुलिसमैन के द्वारा इसकी इन्क्वायरी नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा आप जो अखबारों की स्वतन्त्रता को रोक रहे हैं उससे भी गड़-बड़ होगी। इस देश में लोग अपनी पाश-विक वृत्तियों की पूर्ति के लिए क्या-क्या कुकर्म करते हैं, उसकी अनेक तस्वीरें अखबार वालों ने सामने रखी हैं। जस्टिस भगवती ने कहा है कि कानून पारित करने से कुछ नहीं होगा।

Justice Bhagwati of Supreme Court outlined three main atrocities on women—dowry deaths, forced prostitution and rape.

राय साहब ने एक सेक्सुअल आफेंस को ही लिया है। आपने रेप को ही लिया है। आजकल तो आफिसेज में की इसके द्वारा प्रमोशन हो जाते हैं। पुलिस वालों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन आप तो इस बुझापे में इस बात को नहीं जानोगे। जो वर्चस्व करने वाले हैं उनकी ग्रे हेयर की अवस्था है।

It was not enough to merely make changes in the Constitution or the existing system of law. He said: There is need for efficient police force. What is troubling us more is that today many of these rapes are committed by the police themselves the supposed guardians of law and order.

जिनमें हमें विश्वास पैदा करना चाहिए, उनके यहां ज्यादा होता है। आफिसरों में होता है। समाज कल्याण की जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ खुल चुकी हैं, जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, उनकी क्या चरित्र है। अखबारों में सारी घटनाएँ आती हैं। नारी-निकेतन ये क्या नारी निकेतन हैं। सेक्सुअल आफेंस को कवर करना था, तो केवल रेप को ही किया है। हेड लाइन्स लिख दिया—सेक्सुअल आफेंस। आज भी देवदासी प्रथा चालू है। जिस्म को अर्पित करती हैं।

भगवान के नाम पर समाज के दुश्मनों के सामने और समाज के गुण्डों के सामने। मन्त्री जी हिम्मत के साथ कहेंगे कि हमको कुछ इसमें और अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो कुछ किया है, वह ठीक किया है। जिस्म का जो व्यापार समाज में किया जाता है, ठेकेदारों और कान्ट्रैक्टर्स द्वारा गरीबी के कारण, वह अभिशाप है। मैं यह चाहता हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में 161 के तहत एवीडेंस होते हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए। एक सर्टेंस होता है कि मेरे साथ बलात्कार किया और बात खत्म हो गई। होता यह है कि ब्यानों को लेकर कोर्ट में कन्ट्राडिक्शन के लिए अव लड़की खड़ी होती है, तो मेरी दृष्टि में वह स्थिति बलात्कार से भी ज्यादा भयानक होती है। Simply she must say that in all right. It is 1983 where we are making amendment. We are not old man, we must not adopt old things.

वापू साहिव पारलेकर ने भी कहा है कि उसके अन्दर अमेंडमेंट होना चाहिए उन्होंने कहा है कि 161 में एवीडेंस एक्ट के अन्दर डिटेल में स्टेटमेंट लेने के बाद औरत के ब्यानों पर कन्ट्राडिक्शन होता है, जो कि एक बहुत बुरी बात है ज्वाइंट कमेटी ने बहुत समय लिया, इसके लिए उसको बहुत धन्यवाद। फिर भी सेक्सुअल आफेंस में हिन्दुस्तान की बहुत सी बातों को टच नहीं किया गया है।

हस्बैण्ड और वाइफ के रेप का मामला आपने इसमें लिया है यह बात मेरे दिमाग में कम बैठती है। मुझे तो इसमें कुछ खतरा मालूम होता है। 15 वर्ष से कम उम्र की वाइफ हो, चाहे एक दिन कम हो, मान लीजिए वे हनीमून के लिए हैदराबाद जाते हैं तो पानेदार कह

सकता है कि तुम 15 साल की नहीं हुई हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतनी डिटेल में क्यों गये ? हस्बैंड और वाइफ के रेप का मामला बिल्कुल नया है, हमारी संस्कृति को देखते हुए इस को रेप में कैसे ले आये ? ऐसा भी होता है—कोई लड़की मान लीजिये रेगिस्तान में पैदा हुई है, उसकी उम्र चाहे कम हो लेकिन उसका शरीर अच्छा है और दूसरी तरफ ऐसी लड़की भी हो सकती है जो ऐसी जगह पैदा हुई हो जहां मलेरिया है, उसकी उम्र ज्यादा हो लेकिन देखने में उतने उम्र की न लगती हो, उसको यही कहेंगे कि तुम 15 साल की नहीं हो। मुझे आपकी यह बात पसन्द नहीं आई।

एक और बात भी सोचने की है—कुछ लड़कियां बहुत होशियार होती हैं और पुलिस की एजेंट होती हैं। आजकल पोलिटिक्स का जमाना है, पुलिस जिसको चाहेगी उसको रेप में फास देगी। उनसे बचने का क्या तरीका है ? आपने इसमें लिखा है कि उस लड़की से उसकी पास्ट-बातें नहीं पूछी जायेंगी, तब आप उसके बारे में कैसे जान सकेंगे ? जब पुलिसवाला किसी को फांसना चाहेगा, वह औरत तैयार रहेगी यह कहने के लिए कि उस आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया है, उस हालत में उस औरत का बलात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन उस चारे आदमी का बलात्कार हो जायेगा। यह सवाल भी बिचार करने योग्य है।

मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें कुछ बातें और शामिल करना चाहियें। अभी मैंने कुछ सजेक्शन्ज आपके सामने रखी हैं उन पर आपको गौर करना चाहिये

आपने मथुरा के एक केस का जिक्र किया है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि औरत के बदन पर कोई निशान नहीं था कि बलात्कार किया गया। हमारे जेठमलानी साहब ऐसे केस में आगमैन्ट करेंगे कि रेप नहीं हुआ। ये सब बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिये। इस बिल में अभी भी बहुत अमेण्डमेन्ट की गुंजाइश है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि आप जो बिल लाये हैं उसको तो पारित कर देना चाहिये, लेकिन उसके बाद भी आपको सैकमुअल आफेन्स की गहराई में जाना चाहिये।

श्री जयपालसिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी, यह क्रिमिनल ला अमेण्डमेन्ट बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस देश में आज स्त्रियों के साथ अन्याय, अत्याचार और बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे रोक जाय और जो इन अपराधों में भाग लेते हैं उनको कैसे दण्डित किया जाए—इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। कानून को कैसे संशोधित किया जाए जिससे सही अपराधी बच न पाये और उसको ऐसा दण्ड मिले कि समाज में दूसरे लोग फिर से उस अपराध को करने का दुरुसाहस न कर सकें। स्त्रियों के साथ बलात्कार ही नहीं, उनको तरह तरह से अपमानित भी किया जाता है।

16 00 hrs.

स्त्री को जब भी अनमानित किसी तरह से किया जाता है, तो उसका भविष्य दूधर हो जाता है और चाहे पिता पक्ष के लोग हों और चाहे ससुराल पक्ष के लोग हों, दोनों ही महिला को बड़ी बफर से देखते हैं।

[MR. N. K. SHEJWALKAR in the Chair]

इस तरह से उसके प्रति एक अपमानजनक भावना पूरे समाज में बनी रहती है। तो मेरा कहना यह है कि जहाँ एक तरफ हम को सही तरीके से अपराधियों को दंडित करना चाहिए, वहाँ हमें महिला के पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए। बलात्कार होने पर उसके परिवार के लोग उसको मान-सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए हमें ऐसी महिला के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह अपना जीवन स्वतन्त्र रूप से बिता सके। उसके जीवन में अन्धकार आ गया है, उसका जीवन जो अन्धकारमय बन जाता है और उसके माथे पर जो कलंक लग जाता है, जिसके कारण उस को त्याग दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था हम करें कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना जीवन चला सके। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि अपराधी द्वारा उसको मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए और वह मुआवजा इतना होना चाहिए कि लोग यह समझें कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। केवल सजा इसके लिए काफी नहीं है, बल्कि आर्थिक मुआवजा इतना लगा देना चाहिए कि अपराध करने वाले को कुछ सबक मिले और वह मुआवजा उस महिला को मिलना चाहिए जो कि उसकी शिकार हुई है।

मैंने दो-तीन चीजें इसमें खास तौर से देखी हैं। मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों से जो बे आफेंसेस बड़े हैं, उनमें बहुत-सी संख्या ऐसे अपराधों की है जहाँ पर पुलिस ने बलात्कार किया है या जेलों में बलात्कार हुए हैं या अस्पतालों में बलात्कार हुए हैं या कारखानों में या उन अधिकारियों ने बलात्कार किए हैं, जिनके प्रभाव में वे महिलाएं रहती हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया है और यह एक गंभीर अपराध

है। मैं तो यह कहूंगा कि धारा 376 ए, बी, सी, इन सारी धाराओं में आपने मेजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिया है। मेरा कहना यह है कि ऐसा कोई कर्मचारी या ऐसा अधिकारी, जिसके नियंत्रण में महिला काम कर रही है, उस महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो उसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए, जो धारा 376 में सजा है। आपने जो धारा जोड़ी है, उससे इस अपराध की गंभीरता कम होती है और मैं चाहता हूँ कि इसकी गंभीरता को कमन किया जाए। पांच साल की सजा करके इस अपराध की गंभीरता को घटाया जा रहा है। मैं यही मांग कहूंगा कि इस अपराध की गंभीरता बहुत ज्यादा है और ऐसे व्यक्ति को वही सजा मिलनी चाहिए जो धारा 376 में है। मैं तो यहां तक कहूँ कि ऐसे अधिकारी जिनके हाथ में महिला मजबूर होकर ऐसा काम करती है, ऐसे पुलिस अधिकारी को या जेल के सुपरिन्टेंडेंट को या किसी भी मिल के मैनेजर को जोकि उस पर अपना आर्थिक रूप से नियंत्रण रहता है, सजा-ए-मौत होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों पर ही महिलाओं की सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेवारी है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और महिलाओं के साथ बलात्कार करे, जेल का अधिकारी ये कहे कि हम तुम्हें जल्दी छुड़वा देंगे या दूसरा अधिकारी ये कहे कि हम प्रमोशन दिलवा देंगे और इसलिए वे उनके साथ बलात्कार करते हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने देखा है कि जो महिलाएं आफिस में काम करती हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनके प्रमोशन को रोका जाता है, उनके साथ इस तरह का वर्ताव किया जाता है और उन पर दबाव डाल कर उनके अरमानों से खेलने की बात की जाती है, तो यह जो अपराध है, इस को गंभीरता के साथ लेना चाहिए।



[श्री जयपालसिंह कश्यप]

अभी एक घटना मैंने भू-भारती पत्रिका में पढ़ी। जिला मैनपुरी का डी० एस० पी० थानेदार से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो। इस पर वह खुद सुसाइड कर लेता है। वह अपने सुपीरियर आफिसर से टक्कर नहीं ले सकता। तो ऐसी घटनाएं होती हैं और उनका इन्सबेन्टीगेशन सही ढंग से नहीं हो पाता। महिलाएं अपनी बात कह भी नहीं पातीं। गृह मन्त्रालय में ये निर्देश दिये गए हैं कि महिला को रात में थाने में नहीं रखा जाएगा लेकिन महिलाओं को रात में थाने में रखा जाता है और उनके साथ बलात्कार होता है इस तरह की कई शिकायतें आई हैं। बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वा में एक महिला को रात में थाने में रखा गया।

रोजनामचे में दर्ज है महिलाओं ने शिकायत की है कि हमारे साथ रेप किया गया, पुलिस के अधिकारियों ने हमारे साथ बलात्कार किया, लोगों के बीच में से हमें उठा कर ले गये लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। डाक्टरी जांच की बात आई तो डी०एस०पी० ने उनको बीस-बीस और चालीस-चालीस किलोमीटर दूर ले जाकर कहा अब जाओ और जब वे गईं तो कहा कि आज तुमको मैडीकल जांच के लिए नहीं भेजेंगे और कल आई तो कहा कि परसों भेजेंगे। छः-छः, सात-सात दिन के बाद मैडीकल जांच करवाई जाती है। यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो आफेंस को कंसील करता है, जो अधिकारी जुर्म को बचाना चाहता है, तफतीस में कमी करता है फिर चाहे वह पुलिस का हो या कोई डाक्टर हो उसको सख्त सजा होगी। डाक्टर भी पुलिस के प्रभाव में आकर आफेंडर को बचाने की कोशिश करते हैं और ऐसी रिपोर्टें दे देते हैं कि जो अपराधी को छुड़ाने में मदद करती है। ऐसी बात हो तो उसके लिए आटोमैटिक

अपील की व्यवस्था होनी चाहिए, अपने आप ही अपील हो जाए। ये इस तरह के आफेंस होते हैं जिनमें डायरेक्ट एवीडेंस बहुत कम मिल पाता है। पुलिस और मैडीकल अगर साजिस करती है इनवैस्टीगेशन के दौरान, तो इनमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको सख्त से सख्त सजा हो। केवल प्रिजमपशन की बात नहीं की जानी चाहिए। खास तौर से सरकारी कर्मचारी और पुलिस वाले अपनी स्थिति का बेजा फायदा उठाते हैं। ऐसी अवस्था में अगर आफेंस का सही और कायदे से इनवैस्टीगेशन नहीं होता है, एफ० आई० आर० नहीं लिखी जाती है, तो ऐसे केसिज का इनवैस्टीगेशन नहीं होता, एफ० आई० आर० की पूरी की पूरी पावर्ज मुंसिफ को दे दी जानी चाहिए, मैजिस्ट्रेट को दे दी जानी चाहिए या उनका इनवैस्टीगेशन ऐसी एजेंसी से करवाया जाये जो पुलिस के तहत न हो बल्कि जो इन्डिपेंडेंट हो। बदायूं जिले के थाना करातर, ग्राम कवर चैक की एक घटना है। तीन महीने हो गए हैं। यहां के लोगों ने रिपोर्ट भी लिखा कि औरतों के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन 70-70 दिन से पुलिस वाले थाना बना कर और वायरलेश लिए वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। महिलाएं बाहर निकल कर नहीं जा सकती हैं। कई बार सरकार को लिखा, गृह मन्त्री, मुख्य मन्त्री को लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे किसके सामने अपनी फरियाद ले कर जाएं? वही मुंसिफ बन रहे हैं और वही मुजरिम। पुलिस वाले उनको गांव से निकलने का मौका ही नहीं देते हैं। लखनऊ की सहारा नाम की एक पत्रिका है। विवरण बहुत विस्तार से उसमें निकला है। बहुत ही दर्दनाक घटना का उसमें विवरण छपा है और पढ़कर सिर शर्म से झुक जाता है। वह टेप रिकार्डिंग भी है। ऐसे सारे मामले

की मैजिस्ट्रेट द्वारा इनवैस्टीगेशन होनी चाहिए। पुलिस के हाथ से ऐसे केसिस को ले लिया जाए।

महिलाओं को घंटों रखा जाता है। यह नहीं होना चाहिए। उनको घंटे दो घण्टे से अधिक न रखा जाए। यह आफेंस हो जाना चाहिए। साथ ही अगर कोई पुलिस अफसर रात में रखता है और रात में बुलाता है, रात में एरेस्ट करने के बाद उसके परिवार के लोगों को वहां पर नहीं रहने देता है तो थाने में उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और होता है। इसके लिए भी क़ानून में सख्त प्रावधान होना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए कि महिलाओं को रात में इस तरह न रखा जाए।

तिहाड़ जेल की घटना का आपको मालूम ही है कि किस तरह रिपोर्ट निकलती थी, जजों ने दी थी और उसको पढ़कर किसी का भी सिर शर्म से झुके वगैर नहीं रह सकता है। बच्चों के साथ वहां जघन्य अपराध किए गए। उन्होंने जब न्याय मांगा तो कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ। इटावा वाला कांड हुआ। बागपत कांड की बहुत शिकायत सदस्यों द्वारा की गई थी कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया है। बलात्कार हुआ या नहीं लेकिन महिलाओं का उत्पीड़न बलात्कार से ज्यादा शर्मनाक है। मैं माँग करता हूँ कि सामूहिक बलात्कार के अपराधियों को कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। यह हँवानियत है, नैतिकता से बिल्कुल गिरी हुई चीज। औरतों से, अवलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो, जो अपनी रक्षा न कर सकती हों उनके साथ बलात्कार हो इसको वरदास्त नहीं किया जा सकता है और इस अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को सजाए मौत होनी चाहिए। चाहे पुलिस कस्टडी में बलात्कार हो और चाहे सामूहिक बलात्कार हो, गरीब और

वीकर सेक्शनज की महिलाओं के साथ विशेष रूप से ऐसी घटनाएँ होती हैं। स्त्री अपनी बात नहीं कह पाती है, उसे दबा दिया जाता है और उसे पूरा सुबूत नहीं बनने दिया जाता है। देश में लाखों ऐसे ऑफेंस होते हैं, मगर महिलाएं या उनके घर वाले उन्हें पुलिस स्टेशन या सरकार तक नहीं पहुंचा पाते और न ही अखबारों के माध्यम से समाज को ही उनकी जानकारी हो पाती है।

अभी दिल्ली की एक शर्मनाक घटना का पता चला है कि किस तरह से एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को मजबूर किया गया कि अपनी पत्नी या लड़की में से जिसको चाहो छोड़कर चले जाओ। ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में सख्ती से व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैडिकल एग्जामिनेशन और इनवैस्टीगेशन के लिए गायडलाइन्ज बनाई जानी चाहिए।

यह देखा जाता है कि महिलाओं को अपना व्यान देने के लिए बार-बार अदालत में जाना पड़ता है। वहां पर कभी मैजिस्ट्रेट या जज नहीं होता और कभी विटनेसिज नहीं आते। इससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, लोगों की निगाह उनपर उठती हैं और वे अपमानित महसूस करती हैं। इसलिए इन मामलों की समरी ट्रायल होनी चाहिए। अगर आन दि स्पार्ट ट्रायल हो, तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इससे मौके पर गवाह मिल सकते हैं। मुकदमे को लिंगर आन नहीं होने देना चाहिए जिन केसिज में एक्विटल हो, उनके खिलाफ आटोमेटिक अपील होनी चाहिए।

मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बिल का दायरा और बढ़ाएं। महिलाओं पर होने वाली स्ट्रासिटीज और उनको अपमा

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

नित करने वाली घटनाओं को भी इस कानून की परिधि में लाया जाए।

✓ श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय): सभापति महोदय, आज सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील विषय है। इस विषय पर चर्चा न तो राजनैतिक हथकंडा बना कर होनी चाहिए और न हल्के-फुल्के ढंग से होनी चाहिए। इस सदन के सभी माननीय सदस्य जिम्मेदार सदस्य हैं और लाखों-लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें यहां पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जो सिर्फ प्रचार का माध्यम बने, मगर जिनसे हमारे उद्देश्य की पूर्ति न हो सके।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मेरा पायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य इस बिल की जॉयंट कमेटी की चेयरमैन रही हैं।

✓ SHRIMATI KRISHNA SAHI : I know the rules. I will not speak on the Committee for the Abolition of Dowry. I was the Chairman of that Committee. I am not going to speak on that.

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ने रिपोर्ट देखी है ?

श्रीमती कृष्णा साही : मैं कह रही थी कि हम इस गंभीर विषय को इतने हल्के ढंग से बातचीत का विषय न बनाएं, जिससे यह कानून प्रभावकारी न हो सके।

इस विधेयक की संयुक्त समिति ने बड़े परिश्रम से काम किया और बड़ी सुन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है इसलिए इस समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने समिति के साथ काम किया है।

परम्परा से नारी की सामाजिक स्थिति चर्चा और चिन्ता का विषय बनी हुई है। कोई आज हम इसपर नये ढंग से विचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि जहां नारी होती है, वहां देवताओं का निवास होता है। उसके बाद मनु आए। तब भी बड़ी विरोधाभास की बातें हुईं।

आज जैसे कि महिलाओं को द्वितीय नागरिक की श्रेणी दी जाती है उसी तरह से मनु ने भी कहा था। उसकी भी चर्चा होती है। तुलसीदास जी के लिए भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा—

ढोल गंवार शूद्र पशु नारी।  
ये सब ताड़न के अधिकारी।

उनके सम्बन्ध में भी इस तरह की बात कही जाती है भले ही तुलसीदासजी का मंशा कुछ और हो और उसको हम गलत ढंग से अपनी बुद्धि के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण समझते हों। हमारी सरकार भी इस बात से सचेष्ट है कि जितनी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं वह दूर हों या जैसे कि अभी कहा गया है कि महिलाओं के जिस्म के साथ जिस तरह से अपमानजनक बातें होती हैं उससे सरकार जागरूक है। तभी तो आज एक विधेयक को इस सदन में विचार करने के लिए रखा है।

जहां तक सवाल है कानून बनाने का, मैं अमल दत्ता साहब से जानना चाहती हूँ कि बंगाल में जो सरकार है, क्या वहां जो बाल-विधवाएं होती हैं उनकी शादी वह करा सकी है और यदि करा सकी है तो कितनों की करायी है ? छोटी-छोटी लड़कियां जो बंगाल में या और भी प्रान्तों में विधवा हो जाती हैं, मैं इसे कोई प्रान्तीय विषय नहीं बनाना

चाहती हूँ, मैं सभी जगहों के उदाहरण दे रही हूँ, कि कम उम्र में जो लड़कियाँ विधवा हो जाती हैं उन्हें बृन्दावन या अयोध्या भेज दिया जाता है। आज हजारों की संख्या में ऐसी विधवाएँ अयोध्या और बृन्दावन में पड़ी हुई हैं। उनको कहीं शरण नहीं मिलती। घर से वे निकाल दी जाती हैं। कोई उन्हें देखने वाला नहीं है।

दहेज के बारे में रोज चर्चा होती है। मैं यह नहीं कहती हूँ कि यह सामाजिक बुराई समाप्त नहीं होती है तो इसके लिए कानून न बनाया जाय। कानून जरूर बनाया जाय। अगर कानून कारगर नहीं हो रहा है तो उस में आवश्यक संशोधन लाने और उसे कारगर बनाने की भी जरूरत है। लेकिन मैं प्रमिला जी से जानना चाहती हूँ कि क्या संसद के बैठ पर प्रदर्शन करके और इसका प्रचार और प्रसार करके दहेज को सारे देश में बन्द कर सकती हैं ? मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि जहाँ-जहाँ जिस-जिस प्रान्त में भी दहेज की प्रथा है या जहाँ इस तरह से अधिक संख्या में बलात्कार की घटनाएँ होती हैं, जहाँ धर्म के नाम पर या धर्म के रास्ते पर ले जाकर महिलाओं को वेश्या बनाया जाता है वहाँ क्या वह इस समस्या को सुलझा सकी हैं ? मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी ऐसी लड़कियों या महिलाओं को गलत रास्ते पर जाने से वह रोक सकी हैं ? चाइल्ड मैरिज ऐक्ट 1929 से ही प्रारम्भ हुआ है लेकिन आज भी राजस्थान के अन्दर हजारों की संख्या में छोटी-छोटी लड़कियों की शादी होती है और सामूहिक रूप से शादी होती है। तो किन-किन के घरों में जाकर सरकार सजा देगी ? आज माँ यह कहती है कि बहू जितना दहेज लाती है उसी के मापदण्ड से परिवार में उसका दर्जा निर्धारित होता है। मेरा यह कहना है कि चाइल्ड मैरिज ऐक्ट 1929 से चल रहा है और हिन्दू

मैरिज ऐक्ट 1955 में बना, उसमें भी यह कहा गया कि लड़की की उम्र शादी के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, लेकिन क्या आज समाज में इसके अनुसार काम हो रहा है ? मैं तो कहती हूँ कि इसमें बड़े-बड़े समाज-सुधारक और राजनैतिक नेताओं का हाथ रहता है। इसके लिए पुरुष प्रधान समाज दोषी हो सकता है। यह कहना कि सारी बातों के लिए और जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

दण्ड विधि संशोधन विधेयक की संयुक्त समिति ने काफी अनुशंसाएँ भी की हैं, मेरा यह कहना है कि उनको भी ऐक्ट का रूप दिया जाय। इसमें यह दिया है—

“The Joint Committee have also made general recommendations on certain matters, namely.....(e) special provision for association of social welfare officers during investigation and in proceedings.”

मेरे विचार से ऐक्ट में यह प्राविजन होना चाहिए। कुछ दिन पहले टाइम्स आफ इंडिया में आपने देखा होगा, मेरे पास कटिंग भी है :

No mention of mass rape in judges 'report'

तो किसको हम इसमें अलग कर सकते हैं ? समाज का कौन सा वर्ग इससे अलग है ? संसद की बात करें या कोर्ट-कचहरियों की बात करें, इसमें लिखा है :

“Complaints of mass rape of Harijan women, including a 14 year old girl by a gang of 10 dacoits in Babu Bigha village of Nalanda district on June 10 this year, were made to the Additional District and Sessions Judge, Bihar-sharief who conducted an inquiry.”

[श्रीमती कृष्णा साही]

ये कहते हैं :

"According to the petition, the dacoits on a looting spree, raped every able bodied and mercilessly beat up the men-folk and children on the fateful day."

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि ऐक्ट में इसका भी प्राविजन किया जाय।

इसके अलावा जो इसमें लिखा है :

"Rebutting the presumption is shifted on the accused in cases of offences covered under clauses (a), (b) and (c)."

पहले ऐसा था कि उसको साबित करना कठिन होता था लेकिन अब ऐसा किया जा रहा है कि केवल कथन से ही मान लिया जायेगा परन्तु मेरे विचार से इसमें भी कुछ लूपहोल हो जायेगा और उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि आज के युग में प्रतिशोध की भावना से करैक्टर असैसिनेशन ही शुरू हो जाए, इस लिए इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। किसी महिला को हथकण्डा बनाकर राजनीति साधी जाने लगे—ऐसा भी नहीं होने देना चाहिए।

एक बात मैं भूल गई थी। (ए) में भी है :

"Provision for right of private defence to a woman on molestation."

यह बड़ा गम्भीर विषय है और मेरा निवेदन है कि इसको भी ऐक्ट में शामिल किया जाए। मैं इस सदन के सामने यह भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि आज राजस्थान तथा दूसरे प्रान्तों में जो छोटी-छोटी बच्चियाँ

की शादियाँ होती हैं बेरोक-टोक तब इस कानून का क्या अर्थ रह जाता है ? जब तक कि यह कानून गांव-गांव में न पहुंचे, आम महिलायें अपने अधिकारों के बारे में न जान सकें तब तक इस कानून को हम किस प्रकार से कारगर बना सकते हैं ? मैं समझती हूँ जब तक समाज में जागृति नहीं बढ़ती है तब तक ये कारगर नहीं हो सकेंगे। डागा साहब और अमल दत्त साहब जब तक कि कुछ छोटी-छोटी विधवाओं को लाकर उनकी शादियाँ नहीं करा देते हैं, तब तक उनके भाषणों का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। सरकार जो है वह तो हम सभी मिलकर बनाते हैं लेकिन जिस दिन हम सभी मुस्तैद हो जायेंगे कि समाज से इन कुरीतियों को मिटाना है तो उसमें सफलता मिल सकेगी वरना राम मोहन राय और शारदा से लेकर दयानन्द सरस्वती और आधुनिक युग में महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे सभी इस सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे हैं।

लेकिन फिर भी आज हम वहीं हैं। क्यों हमें पिछली श्रेणी में रखा जाता है ? आज क्यों हम विचार कर रहे हैं कि महिलाओं के उद्धार की जरूरत है ? कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, चाहे साहित्यिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो, जहां हम समकक्ष नहीं हैं। यदि कहीं-कहीं पर समकक्ष नहीं हैं तो कहीं तो हम आगे भी हैं फिर भी आज यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं आप से पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला इस काबिल नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके ? अब ऐसी स्थिति नहीं है कि हम दूसरों से सुरक्षा की अपेक्षा करें। यह सचमुच में बहुत गम्भीर विषय है, और महिलाओं में भी हमें इस बारे में जागृति पैदा करनी चाहिए। यदि एक पुरुष साक्षर होता है, तो वह अपने लिए साक्षर होता है, लेकिन

अगर एक मांसाक्षर होती है, तो बच्चे साक्षर होते हैं, परिवार साक्षर होता है और समाज साक्षर होता है और तभी हम देश का निर्माण कर सकेंगे।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बोलने के लिए इतना समय दिया।

श्रीमती प्रमिला बंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, 2 नवम्बर, 1982 को करीब एक साल पहले क्रिमिनल ला एम्बेडमेंट से सम्बन्धित लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई थी। 1980 में पहले वाला बिल पेश किया गया और फिर ज्वाइंट कमेटी बनी और उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस बिल को इसलिए लाया गया है क्योंकि मथुरा केस के जजमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा आन्दोलन किया गया था। उस पर सरकार ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, एवीडेंस एक्ट और इंडीयन पीनल कोड में तबदीली करना चाहिए। 84वीं रिपोर्ट लॉ कमिशन को पेश होने पर 1980 में इसको यहां पेश किया गया। अब ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम इस बिल पर बहस कर रहे हैं। पिछले एक साल से बराबर महिला संगठन की बहनों द्वारा मांग की जाती रही है कि इस बिल को जल्दी पेश किया जाना चाहिए। शायद आपको पता होगा कि इस सदन में मैंने एक बार सवाल पूछा था कि क्या हिन्दुस्तान में दो मिलियन वीमैन के साथ हर साल बलात्कार किया जाता है? ...कहा गया है कि यह बात गलत है। मैंने पूछा—बता दीजिए कि कितना होता है? इस पर तुरन्त जबाब नहीं दिया जा सका। बाद में जवाब दिया गया कि करीब-करीब हर साल पांच हजार बलात्कार पुलिस के पास दर्ज किए जाते हैं। पुलिस के रिसर्च और डेवलपमेंट ब्यूरो का कहना है कि भारत में हर दो

घण्टे में एक स्त्री के साथ बलात्कार होता है। यह कितने शर्म की बात है... (व्यवधान)... मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बार मध्य प्रदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश में हर साढ़े आठ घण्टे में एक स्त्री पर बलात्कार होता है, हर साढ़े बारह घण्टे में एक स्त्री आत्महत्या करती है और हर तीसरे दिन एक स्त्री को पारिवारिक संघर्ष के लिए मारा जाता है। यह चीफ मिनिस्टर द्वारा विधान सभा में दिया गया बयान है। इसी प्रकार कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर द्वारा कहा गया है कि कर्नाटक में हर साढ़े चौदह घण्टे में एक स्त्री पर बलात्कार होता है।

उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले इतने ज्यादा नहीं हैं। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ कि यह बहुत ही भयानक चीज है। ये जो बलात्कार के केस देश में हो रहे हैं, उसका एक परिणाम यह हो रहा है कि लोग अपनी छोटी-छोटी लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर देते हैं। मैंने लोगों से बातचीत की कि देश में शारदा कानून लागू है, आप अपनी लड़कियों की शादी छोटी उम्र में क्यों कर देते हैं? उन्होंने मुझे बतलाया—हमारी लड़की जवान हो जायगी, बाहर निकलेगी तो डर रहता है कि कहीं बलात्कार न हो जाय। इसलिए हम जल्दी शादी कर देते हैं। हमारे देश के लिए यह कितनी शर्मनाक बात है।

डागा जी ने देवदासी प्रथा का जिक्र किया था, मैं इस समय उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, इस समय तो यही एक सवाल हमारे सामने है कि जो बलात्कार की घटनाएँ होती हैं उनमें किस तरह से कानूनी तौर पर स्त्री को इन्साफ मिले। आपको मालूम है—मथुरा के केस में उस स्त्री को सही इन्साफ नहीं मिला। मैं इस समय जजमेंट के बारे में कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसी केस के आधार पर हम महिलाओं ने इस



[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

सवाल को देश के सामने उठाया। बलात्कार हमारे समाज में बहुत सालों से होता आया है। जब माया त्यागी का केश हुआ था उस समय भी हम लोगों ने इस सबाल को उठाया था और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस समय के मन्त्री ने इस सदन में यह कहा था कि महाभारत के समय से महिलाओं पर अत्याचार होते रहे हैं, आज भी होते हैं और आगे भी होंगे। लेकिन इसके लिए स्त्री को सजा नहीं होनी चाहिये। हमारे समाज में मौरैलिटी का डबल-स्टैण्डर्ड है—जो बलात्कार करता है उसको सजा नहीं होती है, वह छूट जाता है, लेकिन जिस स्त्री के साथ बलात्कार होता है वह जिन्दगी भर रोती है—आखिर उसका क्या कुसूर था? हमारे यहां कहा जाता है—स्त्री काँच का बरतन है और पुरुष धातु का बरतन है। काँच का बरतन फूट गया तो फूट गया, लेकिन धातु का बरतन धो-पोंछकर इस्तेमाल के लिए तैयार रहता है। इसलिए जब भी किसी स्त्री के साथ बलात्कार होता है, उसकी मर्जी के खिलाफ किसी पुरुष से सम्बन्ध हो जाता है तो उसकी जिन्दगी मौत होती है। आज के कानून में अगर कोई किसी का खून कर देता है तो उसके लिए मौत की सजा है लेकिन जिस स्त्री के साथ बलात्कार होता है, उसकी जिन्दगी मौत बन जाती है, उसका परिवार ध्वस्त हो जाता है, उसके लिए जो सजा कानून में रखी गई है वह काफी नहीं है, 7 साल से 10 साल की सजा मेरी दृष्टि में काफी नहीं है।

मैं फिर मथुरा केस की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। इस बिल में मेरा विरोध संवधान 2 से है जिसमें आपने संवधान 228 को अमेण्ड किया है। इस अमेण्डमेंट से आप विकटिम को सुरक्षा देना चाहते हैं या एक्यूज्ड को सुरक्षा देना चाहते हैं? आपका

यह अमेण्डमेंट बिहार प्रेस बिल जैसा है, उसको तो जगन्नाथ मिश्रा ने बाद में वापस ले लिया था, लेकिन आपके इस अमेण्डमेंट से उस विकटिम को क्या लाभ होगा? जहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन ठीक तरह से नहीं किया है वहाँ पर आपने उस केस की प्रसिद्धि को रोककर एक्यूज्ड और पुलिस वलेंकेट छूट दे दी है। ऐसे केस में यदि खबर अखबार में नहीं आयेगी तो उसको वह लाभ नहीं मिल सकेगा जो उसको मिलना चाहिये था। हमारी माँग यह है कि जहाँ वह चाहती है वहाँ उस को अखबार में जाने दिया जाय। कभी-कभी ऐसा होता है—लड़की या उसके माँ-बाप नहीं चाहते कि वह अखबार में जाय, लेकिन ऐसे केस में जहाँ पुलिस ने ठीक काम नहीं किया है उस हालत में यदि केस की सूचना अखबार में जायगी तो उससे जनमत तैयार करने और दबाव डालने में मदद मिल सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसमें तबदीली कीजिए। मैंने इस सम्बन्ध में अपना अमेण्डमेंट दिया है, उसको मैं बाद में पेश करूँगी, लेकिन हमारी यह माँग है कि आप उस अमेण्डमेंट को जरूर स्वीकार करें।

दूसरी बात—आपने इसमें रैप के बारे में अलग-अलग प्रकार के रैप की डेफीनेशन दी है कि उसके बारे में मुझे यह कहना है कि जहाँ स्त्री अपने पति के साथ नहीं रहती है, सैप्रेट रहती है, दूसरी जगह रहती है, उसके बारे में जो आपने डिलीट किया है, जैसे—

Explanation 2 of Clause 228 of the old Bill :

"A woman living separately from her husband under a decree of judicial separation shall be deemed not to be his wife for the purpose of this section."

यह जो डिलीट किया है, यह मत कीजिए

और जो औरीजनल एक्ट में है, वह रहना चाहिए। स्त्री अपने पति से दूर रहना चाहती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है। इसलिए उसकी पत्नी समझकर उसके साथ बलात्कार करने का उसको अधिकार नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि वेश्याओं पर भी बलात्कार करने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि आगे चलकर स्त्री के पूर्व चरित्र को आपको नहीं देखना चाहिए। हैदराबाद में रमीजा बी का जो केस हुआ था उसमें पुलिस ने यही कहा था कि वह वेश्या है। जब इन्वेस्टीगेशन चला, तो यही कहा गया कि वह वेश्या है। अब इसका मतलब यह है क्या वेश्या होने के कारण उस पर बलात्कार करने का सबको परवाना मिल गया है? यह ठीक नहीं है। इस तरह से समाज में कीचड़ उछालने का काम चलता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि पूर्व चरित्र को ध्यान में रखने का काम नहीं होना चाहिए और इसके लिए भी आपको इस बिल में व्यवस्था करनी चाहिए। वह नहीं है और इसके बारे में आप जरूर सोचिये।

कस्टोडियन रेप के बारे में आपने मंजूर किया है कि *वि ओनस आफ प्रूविंग दि आफेंस शुड बी आन दी एक्ज्यूज्ड*। यह जो हमारी माँग थी, यह आपने आम तौर पर कस्टोडियन रेप के बारे में मंजूर की है। अगर कोर्ट में जाकर वह कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो आप उसको मंजूर करेंगे और वह रेप है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसकी तरफ दिलाना चाहती हूँ। ठाकुर साहब ने कहा है कि ऐसे केस में कोरेकोरेटिंग एबीडेंस की जरूरत नहीं है। 15 साल की एक छोटी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बारे में उन्होंने कहा है और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए।

यहीं पर एक बात यह भी कहना चाहती हूँ कि जब हमारी महिलाओं ने यह मांग रखी थी कि *वि ओनस आफ प्रूविंग दि आफेंस शुड बी आन दी एक्ज्यूज्ड*, तो सारा पुरुष वर्ग बहुत घबड़ा गया था और उन्हें लग रहा था कि अगर ऐसा हो जाएगा और कोई स्त्री खड़ी होकर कोर्ट में कह देगी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो उसको सिद्ध करने की जिम्मेवारी पुरुष की रहेगी और यह उन पर एक बहुत बड़ा खतरा है। आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि जो स्त्री बिल्कुल तिराप-राधी है, उसकी जिन्दगी कितनी बरबाद हुई है और ऐसी कितनी ही बहनों की जिन्दगी बरबाद हुई क्योंकि यह कानून ऐसा बना हुआ है जिसमें जिसपर बलात्कार होता है, उसे ही आगे चलकर सिद्ध करने की जिम्मेवारी है कि वह बलात्कार था और संभोग नहीं था। मुझे लगता है कि एक बहुत शर्मनाक बात है क्योंकि कोर्ट में खड़े होकर इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं कि उनको सिद्ध करना पड़ता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। मथुरा के केस में ऐसा ही हुआ था। यह कहा गया कि उसके शरीर पर कुछ नहीं था और आवाज भी नहीं आई। मैं आपको ऐसे कितने ही केस बता सकती हूँ कि लड़की या स्त्री के हाथ-पैर बांध दिये और बहुत सारे लोगों ने, बड़े-बड़े लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। ऐसे केस में बहुत से लोग बलात्कार कर सकते हैं और उसके शरीर पर कुछ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, बलात्कार होने के बाद, पुलिस थाने से उसको तुरन्त डाकटरी जांच के लिए नहीं भेजा जाता है। एक बात यह भी है कि लड़की इसके बारे में कुछ नहीं बोलती और मां-बाप भी सौचते हैं कि यह एक बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए वे इसके बारे में किसी को नहीं बताते। दूसरे यह कि वह स्नान वगैरह करके जाती है और फिर कहीं भी

[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

इस बात का पता नहीं चलेगा और न इसका सबूत मिलेगा कि बलात्कार हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं तो यह भी कहूंगी कि पुरुष का भी मैडीकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि इस में कोई साइंटिफिक बात है। मेरा कहना यही है कि महिला का मैडीकल एग्जामिनेशन जो है, वह तुरन्त होना चाहिए और यह जो बात है, उसके लिए मुझे लगता है कि हमको समाज में एक हवा बनानी चाहिए। जिस स्त्री पर बलात्कार होता है, वह आगे चलकर शिकायत करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी व्यवस्था हम करें परन्तु हम देखते हैं कि जिस स्त्री पर बलात्कार होता है, वह पतिता समझी जाती है और जिस घर में वह पैदा हुई है और जिस पति की वह पत्नी है, वह बरबाद हो जाता है। इसलिए कोई भी शिकायत करने के लिए आगे नहीं आता।

मैं आपको बम्बई शहर के दो केस बताना चाहती हूँ। बम्बई शहर में अभी एक केस हुआ था। उसमें क्रिश्चियन समाज की दो लड़कियाँ चर्च जा रही थीं। रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उठा लिया और टैक्सी में बैठा लिया। उनमें से एक लड़की टैक्सी से कूद पड़ी लेकिन दूसरी लड़की के साथ बलात्कार करके टैक्सी ड्राइवर ने उसे कहीं दूर छोड़ दिया। लड़की घर पर जाती है और सारी बात बताती है। वह वहाँ पर बहुत ज्यादा रोई और उसको मैनटल ट्रामा हो गया लेकिन उसके माँ-बाप ने कहा कि तुम यह न समझो कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। अगर तुम्हारे पैर टूट जाते या तुम्हारी उंगली टूट जाती, उसी प्रकार से समझ लो कि यह हो गया है और यह कहा गया कि इसको आगे बढ़ाएंगे और जिस ड्राइवर ने ऐसा किया है, उसको सजा दिलवाएंगे।

उसी इलाके में एक दूसरा अपराध हुआ। जिसकी लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उनके बारे में हमारे समाजवादी महिला संगठन को पता चला। जब हमने उनको शिकायत करने के बारे में कहा तो वे लोग तैयार नहीं हुए। हमने कहा कि आज इसके साथ हुआ है कल दूसरी लड़की के साथ बलात्कार होगा, इसके बावजूद वे लोग तैयार नहीं हुए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमको समाज में ऐसी हवा तैयार करने की आवश्यकता है। निरपराध स्त्री के बलात्कार होता है उसकी पूरी जिन्दगी बरबाद नहीं होती बल्कि जिस तरह से और एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी तरह से इसको भी एक एक्सीडेंट माना जाना चाहिए। इस तरह से समाज को हमें बदलना होगा, समाज का रवैया बदलना होगा।

दूसरी चीज समाज का स्त्री की तरफ देखने का नजरिया बदलना होगा। आज अखबारों में और मैगजीन्स में किस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। अभी भगत साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि हमने जो डेमास्ट्रेशन किया था उसमें उन्होंने कुछ कार्यवाही की है। कई अखबार और मैगजीन्स ऐसे हैं। डेबनॉर के अन्दर 2-3 पेजेज ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं की नंगी तस्वीर होती है। उसको विकृत मन के लोग खरीदते और देखते हैं जो उन तस्वीरों को देखकर खुश होते हैं। बिल्ट्स और करंट के आखिरी पेज में लड़कियों के अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं और उनके नीचे अश्लील शब्द लिखे जाते हैं। इस तरह के दो पेपर्स और मैगजीन्स चल रहे हैं उस पर भी भगत साहब को कार्यवाही करनी चाहिए। बलात्कारों के बढ़ने में इन चीजों का भी योगदान है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : आपके कहने पर कार्यवाही की गई थी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : इसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया है। जब हमने किसी सिनेमा के सामने डेमास्ट्रेशन किया तो आपने कार्यवाही की इसके लिए हमने आपको धन्यवाद दिया है। इस तरह के जो अखबार और मैगजीन्स हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मुख्यमंत्रियों को भी कहा जाना चाहिए।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : हमारा पूरा सहयोग रहेगा। दो-तीन बातें और इस संबंध में कहना चाहती हूं। रेप की जो डेफीनेशन आपने दी है—Under economic domination : वह आपने नहीं दिया है। कोई नौकरी के लिए रेप करने वाले हैं, प्रमोशन के लिए करने वाले हैं। अगर किसी के हाथ में अधिकार है तो उस अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इसलिए हमने कहा है कि इकनामिक डामिनेशन के लिए इस प्रकार का रेप होता है तो उसका भी अन्तरभाव इसमें होना चाहिए। जैसे कैंस्टोडियल रेप में सजा रखी है इसी प्रकार इकनामिक डामिनेंस के लिए सजा देने का प्रावधान होना चाहिए।

एक चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। रेप सिर्फ औरतों पर ही नहीं होता लड़कों पर भी होता है। अभी तिहाड़ जेल का मामला लोगों के सामने आया। बंबई की स्थिति मैं जानती हूं। वहां स्टेशन पर गरीब लोगों के बच्चे, लड़के धूमते हैं, उनका इस्तेमाल कई लोग करते हैं। उनके सेक्सुअल सेटिशफेशन के लिए उनका उपयोग

किया जाता है। इसलिए लड़कों पर जो बलात्कार होता है उसकी व्याख्या भी इसमें की जानी चाहिए। इस बारे में जेलों और अन्य जगहों के बारे में कई सालों से अखबारों में पढ़ने को मिलता है। जेलों में जो लड़के जाते हैं उनके साथ वहां पर उम्रकैदी इस तरह का काम करते हैं। इसलिए इसमें अमेंडमेंट लाकर इसको खुदोमी या इस प्रकार का रेप कहिए, इसकी व्याख्या और डेफीनेशन देने की जरूरत है।

अन्त में मेरी प्रार्थना है कि जो अमेंडमेंट्स मैंने दिए हैं, उनको मैं पढ़ना नहीं चाहती, 228 (ए) जैसा है वैसा आप मत रखिए। जिस प्रकार का हमने संशोधन दिया है, उस पर विचार कीजिए।

उसके लिए जो वलेंटिड वैन हो जाता है उसको आप वापिस उठा लें। मैं चाहती हूं कि इस पर गहराई से सोचें।

माया त्यागी के साथ जो घटना घटी थी उस सवाल को यहां पर उठाया गया था। उस घटना के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस कमियों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए हैं। माया त्यागी का मामला लेकर मैं खुद प्रधान मन्त्री जी के पास गई थी। हमारी मांग इतनी ही थी कि जिस पुलिस के कर्मचारी ने इस प्रकार का कांड किया है, काम किया है उसको सजा दी जाए, उसको सस्पेंड किया जाए उसको डिसमिस किया जाए। वह नहीं किया गया। अगर वैसा किया जाता तो पुलिस में डर पैदा होता। अपने अधिकारों का पुलिस गलत इस्तेमाल करती है। जो भी दोषी पाया जाए पुलिस कर्मों इस कृत्य में उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्रिमिनल जो यूनिफार्म में होता है या जो दूसरा क्रिमिनल हो जाता है उसको लगता है कि उसको पोलिटिकल पैट्रनेज मिल जाएगा;

[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

हम पोलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे तो कुछ भी काम हम कर सकते हैं। यह हवा बन रही है। गलत है या सही मैं नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है कि गलत हवा उड़ रही हो। माया त्यागी के कांड के दोषी कर्मचारी को अगर तुरन्त सजा हो जाती तो उसके बाद जो कांड देश में घटे हैं वे शायद न घटते।

इस बिल को यहां आप लाए हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि इसी सेशन में आप इसको मंजूर भी करवायेंगे। जो कुछ संशोधनों में हमने सुझाव दिए हैं, उन पर आप गहराई से सोचें। एक सुझाव मैं और देना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि विमेंज आर्गेनाइजेशन की विजिलेंस कमेटीज आप बनाएं to prevent crime and to investigate into the matter

हम महिलाओं को अधिकार चाहिए कि अगर पुलिस काम नहीं करती है, तो हमारा इनवैस्टीगेशन में दखल हो। यह सुझाव डावरी कमिशन का भी है। स्पेशल कोर्ट्स की डिमांड भी हमने की है। लेकिन खास डिमांड यह है कि हर पुलिस स्टेशन के पास विजिलेंस कमेटी होनी चाहिए जिसमें महिलाओं को ज्यादा स्थान मिले। अगर यह करेंगे तो women's organizations can help Government which, I hope, is serious about preventing crimes against women.

इससे हवा बनेगी और उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे।

श्री राम सिंह यादव (अलवर): गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्रिमिनल ला एमेंडमेंट बिल 1980 को उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक की पृष्ठभूमि

में न जाते हुए जैसे और वक्ताओं ने भारतीय नारी के सम्बन्ध में कहा है और अपनी चिन्ता व्यक्त की है मैं भी अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूँ। वास्तव में बहुत बड़ा ह्रास समय के साथ हुआ है। भारतीय नारी अपने आप में एक स्तुत्य व्यक्तित्व है, एक प्रशंनीय व्यक्तित्व है। हमारे ग्रन्थों में कहा है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते मत्र देवताः।' यह हमारा आदर्श रहा है। इनको देखते हुए हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि आज किस गति से नारी के प्रति अत्याचारों में, अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके प्रमुख कारण क्या हैं? जहां एक ओर सामाजिक मूल्यों में ह्रास हुआ है वहां कुछ आर्थिक विषमताएं भी हैं, आर्थिक परिस्थितियां भी हैं जिनके कारण इन अपराधों में वृद्धि हुई है। यह अपने आपमें एक चिन्ता का विषय है। हमारी सरकार ने पुलिस कमीशन बिठाया था। उसने भी यही कहा था कि इन अपराधों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती जा रही है। नारी के प्रति हो रहे अपराधों के बारे में सारे राष्ट्र को संवेदनशील होकर गम्भीर रूप से उसका चिन्तन करना चाहिए।

At page 18 of the the report of the National Police Commission it is said :

"Women largely because they have come out of their homes to study and to work, are now more exposed to dangers in society and exploitation by the unscrupulous, and they also now and then become victims of misconduct by the policemen. All these require a definite response from the criminal justice system, including the police. The traditional police organization is not structured to deal with women, be they victims or perpetrators of crime."

पुलिस कमीशन ने बड़ी चिन्ता जाहिर की है कि नारियों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे

हैं और उनमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है और वे अपराध पुलिस के माध्यम से होते हैं। उसने यह भी कहा है कि इन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस स्ट्रक्चर में व्यापक पैमाने पर आमूल-बूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर पुलिस की संस्था में आवश्यक सुधार नहीं किए जायेंगे, सामाजिक मूल्यों को नहीं बदला जाएगा और आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तो हमें इन अपराधों को रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। नारियों के प्रति अपराधों का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम नारी को कमजोर अवला समझते हैं और उसको ऐग्रेसर की भावना से देखते हैं। हमें इस मनोवृत्ति को बदलने का प्रयत्न करना होगा।

इन अपराधों के लिए न्यूजपेपर, फिल्में और कम्युनिकेशन के दूसरे माध्यम भी जिम्मेदार हैं। विजिनेस और औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने उत्पादनों के विज्ञापन में, चाहे वह कपड़ा हो या टी०वी० नारी को मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। जहाँ नारी को देवी के रूप में स्वीकार किया जाता है, अगर वही काम-लिप्सा को बढ़ाने के लिए, काम-भावना को उत्तेजित करने के लिए, नारी को मनुष्य की लैस्ट का आवेकट मान कर व्यवहार किया जाए, तो यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अगर ब्लू फिल्में दिखाने और अश्लील विज्ञापन देने वालों के खिलाफ एक्शन न लिया गया तो वह कानून प्रभावहीन हो जाएगा। अगर इन अपराधों को जन्म देने वाली सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तो केवल इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शन में संशोधन करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जो करोड़पति और अरबपति नारी छवि विकृत रूप में पेश करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं

होती तो छोटे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से ही हमें अधिक सफलता नहीं मिल सकेगी।

सूचना और प्रसारण मन्त्री, श्री भगत, को गंभीरता से सूचना चाहिए कि हमारी माताओं और बहनों को न केवल इस देश में, बल्कि अन्य देशों में, इस तरह गलत ढंग से पेश न किया जाए, भारतीय नारी के प्रति इससे बड़ा अनादर और कोई नहीं हो सकता। अमरीका और इंग्लैंड जैसे उन्नत देशों में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कानून की पाबन्दियाँ हैं। हमारे यहाँ इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है।

इसके अलावा अब वीडियो के द्वारा पाइरेट की हुई ब्लू फिल्में दिखाई जाती हैं। पुलिस उन लोगों के साथ मिली हुई है। इस प्रकार हमारे नवयुवकों के चरित्र को भ्रष्ट किया जा रहा है। राष्ट्र के चरित्र की रक्षा के लिए इस पर पाबन्दी लगानी चाहिए जैसा कि श्रीमती प्रमिला दंडवते ने कहा है, यह केवल महिलाओं का ही सवाल नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के चरित्र का सवाल है।

पुलिस कमीशन ने कहा है कि हिन्दुस्तान में जुविनाइल आफेंडर्स, बाल-अपराधियों की संख्या में दिन-प्रति-दिन वृद्धि होती जा रही है। तिहाड़ जेल में बाल-अपराधियों के साथ किस तरह यौन-कुक्रुत्य किए जाते हैं, यह बात सबको मालूम है। जेल को रिफार्म करने वाली और अपराधों को घटाने वाली संस्था होनी चाहिए, लेकिन, वह अपराधों को जन्म देता है अपराधों को बढ़ाता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है। डिस्ट्रिक्ट जेल हो, सब-जेल हो या सेंट्रल जेल हो, वहाँ पर अपराधियों के गैंग बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल करप्शन और ईबिलज के डेन बन गए हैं, अपराधों के डेन्स बन गए हैं। उनके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन लेना समाज के लिए बहुत



[श्री राम सिंह यादव]

आवश्यक है। आज समाज के अन्दर जितने भी नारी-निकेतन बने हुए हैं या जितने भी आश्रम बने हुए हैं, जिस तरह से बच्चों के एडाप्शन के लिए दूसरे शेल्टर होम्स या करेक्टिव होम्स बना रहे हैं उन के अन्दर क्या होता है? उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से वहाँ अपराधों में बढ़ोतरी की जाती है जबकि उम्मीद यह की जाती थी कि वहाँ यूथ का सुधार होगा। आज हमारे समाज में जिस तरह से ये बुराईयाँ बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में, हर गाँव, हर शहर, हर कस्बे में उनके ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उनके ऊपर नियंत्रण करके ही अपराधों को रोक सकते हैं। नेशनल पुलिस कमीशन ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में कहा है कि हमारे जो नवजवान हैं, वह किशोर जा रहे हैं, किस तरह से अपराधों में वृद्धि हो रही है यह अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। इस के पृष्ठ 17 पर यह लिखा है :

I quote from the Eighth report of the National Police Commission (Page 17) :

"A marked feature is the increasing involvement in crime of the young people. A total number of 44,008 I.P.C. crimes were committed by young offenders (those up to 21 years of age) during 1977, recording an increase of 18.9% over 1976. They were responsible for 3.5% of the total I.P.C. crimes reported in 1977 as against 3.4% from 1978 to 1976. The volume of juvenile crime per lakh of population was 7.0 for 1977 as against 6.00 in 1976."

तो आज जो हमारे यूथ हैं या बालक हैं उन सभी में अपराधों की मनोवृत्ति जिस तरह बढ़ती जा रही है उस पर नियंत्रण करने का बहुत बड़ा दायित्व समाज पर है। मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि इसके लिए इसी कानून को नहीं और भी कानूनों को आप को देखना

होगा। इसी के समानान्तर जो दूसरा ऐक्ट है— सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन बीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट 1956, उसमें यदि कोई इस तरह से किसी अवला को प्रयोग में लाता है, प्रास्टीच्यूशन के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो उसके लिए केवल दो या तीन साल की सजा प्रेस्क्राइब है जबकि इस ऐक्ट के 376 में आप टेन ईयर्स का या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान कर रहे हैं। सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट में जो कि बिल्कुल उस तरह का अपराध है बल्कि वहाँ पर तो अवैटिंग ज्यादा होता है आफेंस उसमें एक साल या दो साल या केबल फाइन का प्रावधान किया हुआ है। फर्स्ट आफेंस के लिए तो केवल प्रोवेशन पर छोड़ने का प्रावधान किया हुआ है। तो माननीय गृह मन्त्री जी इस के समानान्तर जो दूसरे ऐक्ट हैं उन में भी ऐसा संशोधन लाएँगे ताकि सभाज में कोई प्रभावकारी असर हो और इन अपराधों को आप रोक सकें।

गृह मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उसमें भी एक भेदभावपूर्ण तरीका लिया है। यदि एक साधारण अभियुक्त रेप करता है तो उसको दस साल की सजा या आजीवन कारावास देने का प्रावधान किया है और कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान किया है जबकि कोई आफिसर रेप करता है तो उसको केवल पांच साल की सजा का प्रावधान किया है। इसी 376 सैक्शन में आप साधारण अपराधी के लिए तो आजीवन कारावास का प्रावधान करते हैं और जिस पुलिस आफिसर पर अधिक जिम्मेदारी है, जो गार्जियन है लॉ का और सोसाइटी का जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, उसको आप पांच साल की सजा देना चाहते हैं और उसमें भी मिनिमम नहीं प्रेस्क्राइब किया है। अगर सेशन कोर्ट उसको टिल दि राईजिंग आफ दि कोर्ट सजा देना चाहे तो वह भी उसके लिए

काफी है। तो क्या आप इन आफिसर्स को लाइसेंस दे रहे हैं रेप करने के लिए कि वह इस तरह का काम करें और मामूली फाइन देकर किसी की इज्जत लूटें? इसलिए यह जो आपने 376-बी, सी और डी में कहा है:

"whoever, being a public servant or, takes undue advantage of his official position and seduces any woman, who is in his custody as such public servant or in the custody of a public servant subordinate to him, to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description or a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine."

SHRI VIRDHI CHANDER JAIN : It is 'not amounting to rape'.

SHRI RAM SINGH YADAV : This is also a misnomer. Not only that; suppose it is in the charge of the hospital or in charge of the remand home, and if rape is committed, he should be convicted.

Is it not case of rape ?

17.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : The matter of consent is relevant in this matter, because when there is no consent, it becomes an offence. But that is the offence which does not amount to rape.

SHRI RAM SINGH YADAV : In that case, that will come under section 354. And that section should be amended. But the Committee has said that this will not affect the provisions of section 354 because sections 354 and 376 are not identical. They are quite different. Therefore, this amendment is not very purposeful and it will not achieve the object with which it has been incorporated.

In the Criminal Procedure Code They have given the discretion to the Police officer which is very surprising. Section 228A(2) says :

"Nothing in sub-section (1) extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is—

(a) by or under the order in writing of the officer-in-charge of the police station or the police officer making the investigation into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation."

सैक्शन 228 (ए) को आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि कोई भी पुलिस आफिसर किसी महिला को धमकी देकर कह सकता है कि हमें एक हजार रुपया दो नहीं तो तुम्हारा नाम इस अखबार में दे देंगे। इसका मतलब यही है कि आप विक्रिम का नाम पब्लिकेशन में देने का अधिकार एक पुलिस आफिसर को दे रहे हैं। अगर वह कहता है कि नाम देना जरूरी है तो वह दे सकता है। मैं समझता हूँ किसी पुलिस आफिसर को यह पावर देना आपका उद्देश्य नहीं था और इस तरह की पावर एक इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर को नहीं दी जानी चाहिए।

17.00 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the chair.]

आप एक इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर को जो पावर दे रहे हैं वह किसी भी मुल्क में नहीं दी गई है। यहां पर आप उसको यह पावर देकर एक्सप्लायट करने का मौका दे रहे हैं। वे विक्रिम को एक्सप्लायट करेंगे। इसलिए चूंकि आपका जो उद्देश्य था उसके यह बिल्कुल विपरीत है, अतः इसको संशोधित किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट्स को भी केवल एप्रूव्ड ला जर्नल्स में ही पब्लिकेशन का अधिकार रहना चाहिए, साधारण अखबारों में देने की कोई आवश्यकता

[श्री रामसिंह यादव]

नहीं है। एक तरफ आप सीक्रेसी मेनटेन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाईकोर्ट के जजमेन्ट अखबारों और मैगजीन्स में छप सकते हैं तो यह बात आपके उद्देश्य के विरुद्ध जाती है।

इसके साथ-साथ होम्स के जो इन्चार्ज बने हैं उसमें मान लीजिए किसी हास्पिटल का जो इन्चार्ज है उसके ऊपर कोई अपराध नहीं है लेकिन उससे मिलकर अपराध किया जाता है तो उसको भी दोषी माना जाना चाहिए। मेरा सुझाव है सेक्शन 376 (2) में आपने कहा है :

“(b) being a public servant, takes advantage of his official position and commits rape...”

I want that the following words should also be added with this :

“...or abets or connives in commission of offence...”

इन शब्दों को और जोड़कर इसको पूरा कीजिए, वरना इसमें आदमी खुद रेप न कर के दूसरे तरीके से रेप करवा सकता है। इसमें जो आपका परपज है, उसको रखने से यह अपने आप ही प्रभावहीन हो जाता है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है—376 ए, बी, सी, डी में आपने इसको काग्निजिवल आफेंस माना है।

But no arrests shall be made without a warrant or without an order of a Magistrate.

यदि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई केस है, तो वह पुलिस अधिकारी अपने ही खिलाफ वारन्ट क्यों जारी करेगा ? पुलिस अधिकारी अपने खिलाफ मजिस्ट्रेट से वारन्ट क्यों जारी करवाएगा ? आफेंस को काग्निजिवल बना दिया, लेकिन उनको गिरफ्तार

नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पर दोबारा सोचिए। जब आफेंस हुआ है, तो आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता है ? एक आदमी ने एक अबला की इज्जत लूटी है, जघन्य अपराध किया है और आपके पास सबूत भी हैं, फिर भी आप गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करें या एस० एच० ओ० के ऊपर डिपेंड करें, यह अपने आपमें एक जघन्य अपराध है। इसमें भी अमेडमेंट करने की आवश्यकता है।

आपने कैमरा ट्रायल इसमें प्रिस्काइव किया है, लेकिन यह भी अपने आपमें दुष्टाह तलवार की तरह से है। इससे उसको नुकसान हो सकता है, उसको न्याय नहीं मिल सकता है। मान लीजिए—चैम्बर में एक जज है, वकील है और मुल्जिम है और प्रोसिक्यूटरिक्स है और वहां पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सब कुछ बयान कर सके। इसलिए प्रोसिक्यूटरिक्स के साथ रिलेशन्स हो जाने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि इसके बारे में वह पहले सेशन जज को लिखकर दे। उसको यह कानूनी अधिकार मिलना चाहिए और अदालत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चाहे उसके साथ उसकी माता, पिता, बहन-भाई कोई भी जा सकता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप जिस मंशा से यह बिल लेकर यहां आए हैं, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं, वह पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको इस पर दोबारा विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक समाज सुधारक बिल पेश किया है और आशा है कि जो इसके समानान्तर विधेयक हैं, उनमें भी आप इस तरह के संशोधन करेंगे।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Pansukura): Sir, This Bill can be truly called the product of mass movement—mass movement by women organisations aided and sympathised by very many from the opposite sex as well and its reverberations inside the Parliament consistently by women Members and supported by some others. I had the privilege of placing before the House the public petition on the Mathura case whereby this whole episode started in the Parliament. So, in any case, this can truly be called the product of a mass movement. There is a saying in English better late than never. So, I feel that this is a gain of the movement but a limited gain.

As far as the gains are concerned, this Bill has liberalised the provision and the definition relating to "consent" and has widened that. There was some difficulty with regard to proof or disproof of consent. To some extent, it has been modified in favour of making the consent question more favourable to women.

The second gain is that the duration of the sentence has been increased.

The third most important gain, in spite of the limitations, is that for the first time we have placed on the statute book, a category of offenders, those who are guilty of custodial rape or gang rape; in a situation when the onus or proof will lie on the accused, and not on the victim as per Sec. 114.

These three principal gains, though limited, are important. I thank Shri Venkatasubbiah, who has all along been with us in the Joint Committee, for this. At the same time, I have to accuse him for not removing some of the other serious limitations.

This kind of Bills do not come before Parliament pretty often. This Bill has come up before Parliament after three long years of agitation. Somebody pointed out that most of the branches here are empty. I am ashamed to admit that most of the

benches are empty. When we are considering such an important Bill, many more members should have been present. It is true that it is not the law, but the social movement, which will decide the implementation of the law. But, all the same, the law has to be as fool-proof as possible.

Since it is only very rarely that we get an opportunity to discuss such a Bill, when we are discussing it, this would be the right time to consider all the relevant aspects and remove the defects and deficiencies. Because, we will not get an opportunity so soon again to re-open the issue. Yet, this was not done either here or in the Joint Committee.

As I mentioned earlier, one of the important gains is that in the case of custodial and gang rape, the onus and gang responsibility of proving the consent of the victim would be on the accused, but only very few categories have been included in this section 114-A.

As has been mentioned by many Hon. Members, rape is committed by taking resort to many kinds of power, particularly economic power. Shrimati Dandavate quoted the erstwhile Chief Minister of Karnataka, who had stated that a rape is taking place every 15 hours. What is more serious is the fact, that he mentioned that a rape is taking place every 15 hours in Karnataka on Dalit women.

I am not saying that this is not taking place anywhere else. The point to remember is that it is often on Dalit women. You will see that the largest number of victims of rape cases would be from amongst the poor, socially the weakest, especially the Scheduled Castes and Tribes. Suppose someone is working in the farm of a landlord and he has taken some money from the landlord. His wife has to pay compensation by being raped like that. Innumerable cases of rape are because of economic domination all classes of women. That is one of the serious facets.

[Shrimati Geeta Mukherjee]

Question of custodial rape was taken. Not only people being in custody, but wherever power is being misused to the advantage of the accused against the victim, all these categories should have been taken in this very Bill. I am saying so because I want that it should have embraced a broad section of the offenders. I strongly feel that Our Chairman of the Committee, always stood with us on this question. We tried our level best to keep 114A at least in tact, because there was a big attack on it to remove it. But the Committee has been kind enough, the Chairman was also very sympathetic to us, therefore, it has been included. The Committee agreed that this 'power rape' question should be there in the general recommendations. If the specific recommendations have taken three years to come before the Parliament, let us imagine when this general recommendation will come before Parliament. I am sure even if this Parliament goes up to its normal time, even then it will not come, do not know what will happen in the next Parliament.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBIAH) : General recommendations will be very seriously considered by the Government. The Hon. Member need not be apprehensive about the question.

MR. DEPUTY SPEAKER : She wants to know when will that come ?

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : I do not doubt the sincerity of Shri Venkatasubbiah on this point. We have taken three years in legislating this much. He would appreciate my apprehension. For this much how much pressure was there from various sides, police accusation, law and order problem, blackmailing, etc. etc. as if the whole womanhood was after it.

SHRI P. VENKATASUBBIAH : The delay was not entirely because of Government's inaction. Government was very anxious. Because of several

things which I have explained in my opening speech...

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Taking these explanations into considerations it may be without your wish, but the fact remains that it has taken three years.

SHRI P. VENKATASUBBIAH : That is right.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Such like things are not easy to bring without counter pressure from the society. This was the occasion to take it lock stock and barrel. At least this part of it should have been full—'power rape' should have been taken in to it, and in that case this Sec. 114A would have been made immediately applicable.

This is my first anguish as far as limitation of the Bill is concerned, I do not know how but it must be done immediately.

The next question is about publication. Earlier there was a blanket ban. The present Bill has emerged from the Joint Committee is better in that respect. Some provision has been made. Even then we are not satisfied. We feel that the kind of things are such that publication will not make much difference.

It is because all the cases are not all the time published. Only those cases about which there are some agitations are really published. There should not therefore be any bar. That is why, only the name should be omitted and for the rest there should be freedom of publication. That is my very strong feeling. Otherwise, it will go against the movement which has produced the Bill.

I know, Sir, that you are looking at me. My time is also limited. Even then, I will seek your indulgence.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You talk much because you have also been in the Joint Select Committee. You know the problem in its entirety.

**SHRIMATI GEETA MUKHERJEE:**

I will not plague you with all the entirety business.

As I said, we are not still happy with what has happened to section regarding publication. I think it is a serious question and the Minister should reconsider and take up an amendment.

I now come to another thing. After the submission of the report of the Joint Committee, a very important judicial pronouncement has been made where our Supreme Court, for the first time, has made a categorical observation with regard to the question of onus of proof or credibility of a woman. With your permission, I will have to quote some paragraphs as reported in no less a paper than *Hindustan Times*. In this Bill, upto now, only in certain categories, the onus of proof will be on the accused and the court will presume it if the woman says that she did not consent. Other categories are left out from this clause. Now, here are the headlines appearing in the daily newspapers: "Four year-old strangled in rape attempt." I will not read the details. You see, how many such news come? Just I was looking at the cuttings: 14 Adivasi girls raped in Yavatmal, Maharashtra. Within one month; there is another Cop Rape on Harijan women. Like that if you just go through, even today's press cutting, you will see such things. As far as knowing is concerned, here, everything I believe whichever party he may belong to, his heart definitely bleeds when he reads these things which are happening in the society. That is what, I presume, at least. That being the case, only a very limited section will have the benefit of clause 144A. What does the Supreme Court judgement say? I quote: from *The Hindustan Times*, dated 25th May, 1983.

"The judgement was read out in the court by the vacation judge, Mr. Justice A. Varadarajan.

"The judges said they were of the opinion that "if the evidence of

the victim does not suffer from any basic infirmity and the probabilities-factor does not render it unworthy of credence, as a general rule, there is no reason to insist on corroboration except from the medical evidence, where having regard to the circumstances of the case, medical evidence can be expected to be forthcoming."

"In the Indian setting, refusal to act on the testimony of a victim of sexual assault in the absence of corroboration as a rule, was adding insult to injury, the judges observed.

"Why should the evidence of the girl or the woman who complained of rape or sexual molestation be viewed with the aid of spectacles fitted with lenses tinged with doubt, disbelief or suspicion? The judges asked.

"To do so was to justify the charge of male chauvinism in a male dominated society, they observed."

Here is a categorical judgment, a refined judgment, apart from the literary merit of it, the judicial merit and, the human merit of it, is apparent to everybody. When I speak about human merit I have in my mind that many judicial questions were brought before us all the time despite human considerations. But here is the Supreme Court who should be the best judges under the circumstances. Now, we have the best judicially to demand that Section 114A should not be applicable only in the cases of custodial rape or in a limited sense but that Section 114A should be applicable to every case of rape. That is what I demand. This was outside the purview of the Joint Committee But it after the Joint Committee that this verdict has come out. I would particularly request the Hon. Minister concerned who I know is personally sympathetic to think over it that here is an ally; let us make use of that and let us make use of the possibility that the Parliament is debating this law today and let us not make half-hearted attempts and



keep it half finished. I would like this to be included.

Before concluding, I would like to mention only one point. Nowadays in law, one of the most important parts is the criminal procedure. How actually the case will come and how it will be investigated and how the women will be treated, I do not have the time now to illustrate them all.

In the Law Commission's recommendation, there were very important observations for amending the Criminal Procedure Code so far as offences against women and children are concerned. I know the Hon. Minister has said that there had been directives. Despite directives, everyday these directives are being violated. That being the case, this should be statutory, and should be legislated without delays. Once it is opened, this is the time to do so. The Committee in their wisdom have placed it in general recommendations. I am glad for that. But this should form always a part of this very Bill.

With these words, I welcome the gain and I feel sorry for the limitations and I hope that the limitations will be obliterated and it will be a gain and gain only. With these words, I naturally cannot oppose the Bill; I support it with limitations.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Limited support. Now Mr. A.T. Patil will speak.

SHRI A. T. PATIL (Kulaba) : The Bill, as reported by the Joint Select Committee, is the Bill introduced in this House by the Hon. Minister.

(Interruptions)

We are dealing with a very sensitive subject in this Bill and a very different and separate subject, separate from other forms of crimes and, therefore, the provisions of this Bill should be viewed from that angle. We should not treat this particular offence on par with the others for several reasons. I personally feel this offence is even ghast-

lier and graver than the offence of death. In case of death, for instance, it is said to be the most grievous offence. When a person dies, he has no opportunity to see what happens, to perceive what happens, after his death. He is not required to come before a tribunal or a court to give evidence, to reply to a number of questions which not only torment the person who is required to reply to those questions but they are delicate things in the eyes of the people.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Patil, you can continue next time whenever it is taken up.

17.30 hrs.

## HALF AN HOUR DISCUSSION

### Shortfall in power generation in 1984-85

SHRI B. V. DESAI (Raichur) : I would like to raise a discussion on the points arising out of the answer given on 15th November, 1983 to unstarred question No. 146 regarding shortfall in power generation in 1984-85. The question which figured there was in connection with the shortfall in 1984-85. So far as energy is concerned the shortfall is to the extent of 21 billion units and the Hon. Minister has accepted that it is how it has been worked out. Instead of 191 billion units which is the Plan target they may generate 170 billion units with a shortfall of 21 billion units. I wanted to just find out what were the reasons for it—whether the estimate or the target fixed by the Planning Commission was wrong or some efforts were still lacking to fulfil that.

In this connection other points were explained but particularly the main one, that is the main reasons for the shortfall in the power target were not given and if they accept the shortfall, then I wanted to know the steps which are being taken by the Government in this regard. Both on this they have enumerated certain points but they are practically very vague and they do not say